

आदेश

24/1/23

यह वाद तापसी गुप्ता, पति - स्व. दिलीप कुमार गुप्ता सा०
हरिणडाजा बाजार, पक्का बारा मौजा ज्वादापुर के दफा न० 173,
174, 182 एवं 176 का जमीन को फर्जी तरीके से व्याख्याती
एवं छद्म कर विही संवन्धी उपायुक्त महोदय को संबोधित
आवेदन के आलोक में प्राप्त हुई। उक्त आवेदन के आलोक
में संबोधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल मैत्रीक के द्वारा
तथ्यों की जांच कराई गई। जांच प्रतिवेदन अधिलेख के साथ
संलग्न है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर संबोधित व्यक्तियों/
पक्षकार को नोटिस किया गया। नोटिस का तामिला
प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदिका एवं पक्षकार युवाई की निर्धारित
तिथियों को लगातार अनुपस्थित रहे हैं। अधिलेख ने उपलब्ध
साक्ष्य एवं रा० उ० नि० तथा अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन
के आधार पर अधिलेख आदेश पर रखा गया है।

रा० उ० नि० / अ० नि० के जांच प्रतिवेदन से
स्पष्ट होता है कि विपक्षगत भूमि आवेदिका द्वारा प्रिविजित
केवला स० 1401/24.3.1984 द्वारा विक्रेता चन्द्रशेखर मंडल
से क्रय किया गया था एवं उसके उपरोक्त नामांतरण वाद स०
44/84-85 से दायित्व खारिज कराया गया। पुनः प्रिविजित
है कि तापसी गुप्ता द्वारा पुनः प्रिविजित केवला स० ~~1401/24.3.1984~~
442/24.7.1989 के प्राप्ति से उक्त भूमि चन्द्रशेखर मंडल
को विक्रय कर दिया गया। उक्त प्रिविजित दस्तावेज के आधार
पर क्रेता चन्द्रशेखर मंडल की पुष्टि सच्चा मंडल और रत्ना
मंडल द्वारा वर्ष 2015-16 में नामांतरण वाद स० 2449 के द्वारा
अपने नाम पर जमाबंदी का सजन कराया गया। उक्त सजने
जमाबंदी के आधार पर रत्ना मंडल एवं सच्चा मंडल द्वारा वर्ष
2018 में प्रतिमा देवी को भूमि का विक्रय किया गया है।

अधिलेख के साथ संलग्न जांच
प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका

बी

ताण्डी गुप्ता द्वारा पूरे जे डी प्रजगत धूमि वर्तमान विवेका
के पिता को मित्रवित केवाला से विग्रह किया जा चुका है।
रेखी परोषाति में आदेशिका का दावा विधिमान्य प्रतीत नहीं
होता है। अहां तक आदेशिका वर्तमान विवेका के पिता को
निबोधित किए गए केवाला की वैधता को चुनौती देना चाहती
है तो ~~वह~~ मित्रवित केवाला को रद्द अवका संशोधित किया
जाना इस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं
आता है। इसके संबंध में आदेशिका सदस्य व्यवहार न्यायालय
की शरण ले सकती है। उस निष्कर्ष के साथ वाद भी कार्यवाही
समाप्त की जाती है।

अंचल
24/11/23

अंचल अधिकारी
पाकड़